देश के लिए.....अव्यवस्था के खिलाफ......

जवाब दो!!!सरकार...

www.jawabdosarkar.com

E-Newsletter, Issued in Public Interest

मंगलवार, 13 अगस्त 2019

अंक –2019/ACI/03

कहानी गोपालपुरा बाईपास रोड की#भाग-3

गोपालपुरा बाईपास रोड की स्कीम 10-B में स्थित भूखंड संख्या 43, 44A पर चल रहे आकाश कोचिंग सेंटर को क्यों बचा रहे है जे.डी.ए. और नगर निगम??

एक नामी कोचिंग सेंटर को बचाने के लिए जे.डी.ए. और नगर निगम के अधिकारी लगा रहे कई अड़ंगे

भूखंड सं. 43,44A पर बने सोरठीया चेम्बर में चल रहा आकाश कोचिंग

पैसों की गरमी देखनी हो तो गोपालपुरा बाईपास आइयें,आपको पता चल जाएगा कि कैसे नियम कायदों को दरकिनार रख,एक नामी कोचिंग सेंटर की बिल्डिंग को सीलिंग से बचाने के लिए नगर निगम और जे.डी.ए. के अधिकारियों ने एडी चोटी का जोर लगा रखा है|

गोपालपुरा बाईपास रोड की स्कीम 10-B में स्थित भूखंड संख्या 43,44A पर बनी सोरठीया चेम्बर वाली बिल्डिंग में चल रहे आकाश कोचिंग सेंटर का है मामला

1. दो आवासीय भूखंडों को पुनर्गठित कर स्वीकृत करवाया व्यवसायिक भूखंड,परन्तु 16.66 (10×15 फिट,भूखंड के दक्षिण-पूर्व का हिस्सा) गज पर अतिरिक्त कब्जा कर,बिना व्यावसायिक नक़्शे स्वीकृत करवाये बनायीं कोचिंग हेतु बिल्डिंग

पथिक भवन गृह निर्माण सहकारी समिति की स्कीम 10-B के भूखंड संख्या 43 और 44A का पुनर्गठन कर,पुनर्गठित भूखंड की व्यवसायिक उपयोग हेतु स्वीकृति सक्षम स्तर द्वारा जारी की गयी थी,परन्तु भूखंड मालिक द्वारा इस पुनर्गठित व्यवसायिक भूखंड पर बिना जे.डी.ए. से व्यवसायिक नक़्शे स्वीकृत करवाये एवं भूखंड के पीछे के एक 16.66, (10×15 फिट,भूखंड के दक्षिण-पूर्व का हिस्सा) गज के आवासीय टुकड़े को मिला कर चार मंजिला व्यवसायिक बिल्डिंग का निर्माण कर लिया|इस प्रकार इस 16.66गज के टुकड़े का ना तो पुनर्गठन करवाया गया और ना ही नियमन का पैसा जमा करवाया गया|

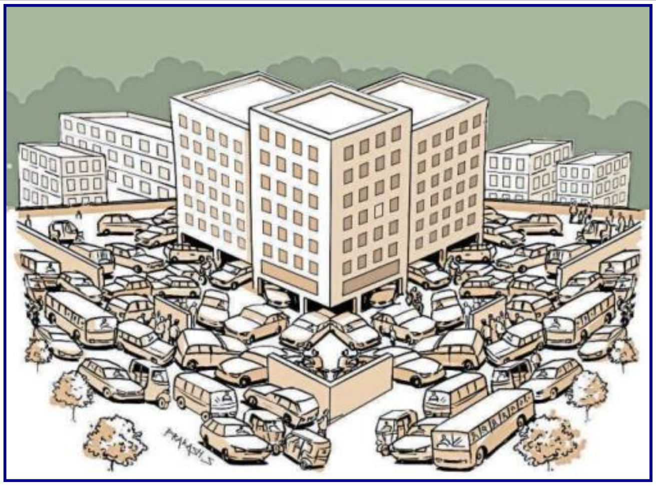

2. सेटबैक नियमों की पालना नहीं

इस बिल्डिंग को बनाते समय भवन मालिक ने अन्य अवैध निर्माण करने वालों की तरह,भवन विनियमों के अंतर्गत सेटबैक नहीं छोड़ने को अपना जन्मसिद्ध अधिकार समझते हुए,कहीं पर भी नियमानुसार सेटबैक नहीं छोड़े है|

3. गैर अनुज्ञेय बेसमेंट में भी व्यवसायिक गतिविधि,कोचिंग संस्थान आकाश इंस्टिट्यूट का है हेड ऑफिस,एंट्री और एग्जिट के लिए एक ही गेट

जे.डी.ए. के भवन विनियमों के अनुसार किसी भी व्यवसायिक भूखंड के बेसमेंट में व्यावसायिक गतिविधियाँ गैर अनुज्ञेय होती है,जब तक कि जे.डी.ए. द्वारा अधिकृत रूप से पार्किंग का व्यवसायिक उपयोग नहीं दर्शाया जाता|परन्तु यहाँ तो इस अवैध बिल्डिंग के बेसमेंट में आकाश इंस्टिट्यूट के पूरे कॉर्पोरेट ऑफिस का संचालन किया जा रहा है,जहाँ रोज सैंकड़ों फेकल्टी मेम्बरों,विद्यार्थियों और उनके परिजनों का आना-जाना लगा रहता है|गंभीर बात यह है कि यहाँ पर भी अन्य संस्थानों की तरह एंट्री और एग्जिट के लिए एक ही गेट है,जो कि आपातकाल के समय अनेकों जिंदगियों को संकट में डालने का कारण बन सकता है|

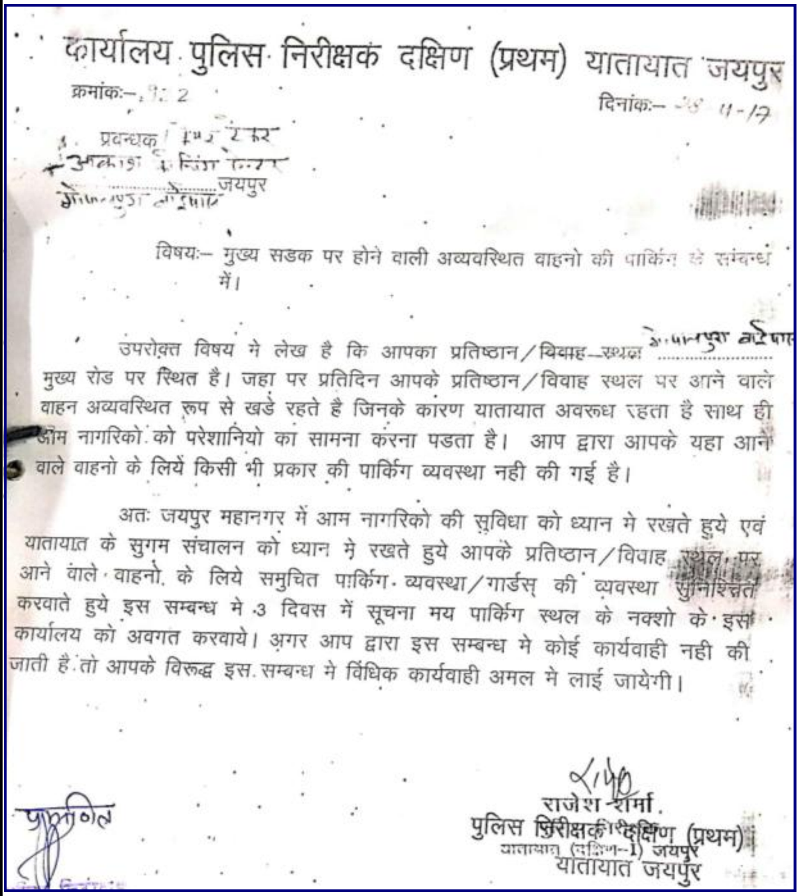

कार्यालय पुलिस निरीक्षक दक्षिण (प्रथम) यातायात जयपुर

क्रमांकः– 2 दिनांकः– -11-17

प्रबन्धक
जयपुर

विषयः– मुख्य सडक पर होने वाली अव्यवस्थित वाहनो की पार्किंग के संबन्ध में।

उपरोक्त विषय मे लेख है कि आपका प्रतिष्ठान/विवाह–स्थल .... मुख्य रोड पर स्थित है। जहा पर प्रतिदिन आपके प्रतिष्ठान/विवाह स्थल पर आने वाले वाहन अव्यवस्थित रूप से खडे रहते है जिनके कारण यातायात अवरूध रहता है साथ ही आम नागरिको को परेशानियो का सामना करना पडता है। आप द्वारा आपके यहा आने वाले वाहनो के लियें किसी भी प्रकार की पार्किंग व्यवस्था नही की गई है।

अतः जयपुर महानगर में आम नागरिको की सुविधा को ध्यान मे रखते हुये एवं यातायात के सुगम संचालन को ध्यान मे रखते हुये आपके प्रतिष्ठान/विवाह स्थल पर आने वाले वाहनो के लिये समुचित पार्किंग व्यवस्था/गार्डस् की व्यवस्था सुनिश्चित करवाते हुये इस सम्बन्ध मे 3 दिवस में सूचना मय पार्किंग स्थल के नक्शो के इस कार्यालय को अवगत करवाये। अगर आप द्वारा इस सम्बन्ध मे कोई कार्यवाही नही की जाती है तो आपके विरूद्ध इस सम्बन्ध मे विधिक कार्यवाही अमल मे लाई जायेगी।

राजेश शर्मा
पुलिस निरीक्षक दक्षिण (प्रथम)
यातायात (दक्षिण-1) जयपुर
यातायात जयपुर

4. पार्किंग के लिए जगह नहीं,सड़कों पर वाहनों का जमावड़ा,यातायात पुलिस दे चुकी है आकाश इंस्टिट्यूट को नोटिस,

इस भूखंड के जब व्यवसायिक नक़्शे ही स्वीकृत नहीं है तो पार्किंग के लिए नियमानुसार जगह छोड़ने का सवाल ही नहीं है,फलस्वरूप इस बिल्डिंग में आने जाने वाले सैंकड़ों फेकल्टी मेम्बरों,विद्यार्थियों और उनके परिजनों के दुपहिया और चौपहिया वाहन सड़क पर यातायात को बाधित करते हुए खड़े रहते है|तहकीकात में मालुम चला कि पूर्व में यातायात पुलिस द्वारा इस भूखंड पर पार्किंग नहीं होने के सम्बन्ध में नोटिस भी जारी कर चुकी है|

5.अन्य भूखंडों पर कर रहे पार्किंग के नाम पर व्यवसायिक गतिविधि

आकाश इंस्टिट्यूट द्वारा एक अन्य आवासीय भूखंड B-45 पर 50000 रूपये मासिक पर पार्किंग व्यवस्था के लिए किराए पर जगह ली है,साथ ही अपनी पार्किंग आवश्यकताओं के लिए एक अन्य भूखंड को भी किराए लेने की तैयारी कर, खुद तो नियम तोड़ ही रहे है अन्य भूखंडधारियों को भी नियम तोड़ने के लिए उकसा रहे है|परन्तु इस कदम से बिना स्वीकृत नक्शों के बिल्डिंग बनाने के जुर्म से नहीं बचा जा सकता,जिसके लिए बिल्डिंग को सील करने के सख्त प्रावधान है|

6. बिना व्यवसायिक नक़्शे स्वीकृत बिल्डिंग पर नगर निगम ने जारी की फायर NOC

आश्चर्य की बात यह है कि बिना व्यवसायिक नक़्शे स्वीकृत किये नगर निगम के अग्निशमन विभाग ने इस बिल्डिंग में चल रहे आकाश कोचिंग इंस्टिट्यूट को फायर NOC भी जारी कर दी|नगर निगम के जानकार सूत्रों के अनुसार नगर निगम में फायर विभाग द्वारा कई बिल्डिंगों की फायर NOC को इसी कारण जारी नहीं की जा रही है क्यूंकि उनके बिल्डिंग मानचित्र स्वीकृत नहीं है|परन्तु इस मामले में फायर विभाग के एक आला अधिकारी को मोटी रकम, नजराने के रूप में भेंट की गयी है,जिसके चलते इस बिल्डिंग की फायर NOC जारी करने की नजरें-इनायत बरती गयी है|

7. यूडीएच के कोचिंग मानदंडो की पालना नहीं करने वाले गोपालपुरा बाईपास के सैंकड़ों कोचिंग संस्थानों को जे.डी.ए. ने नोटिस दिए,इस कोचिंग संस्थान की इस बिल्डिंग की प्लाट संख्या 43,44A पर बनी अवैध बिल्डिंग को छोड़ दिया

सूरत अग्निकांड के बाद निरंतर विभिन्न पत्रों,रिपोर्टों के माध्यमों से जे.डी.ए. के अधिकारियों को चेताने के बाद हरकत में आये जे.डी.ए. ने इन अवैध रूप से संचालित कोचिंग संस्थानों को ताबड़तोड़ नोटिस देने की कार्यवाही चालू की,परन्तु इस भूखंड मालिक एवं कोचिंग सेंटर के रसुखातों और सेटिंग के चलते इस भवन को नोटिस देना भूल गया|जे.डी.ए. द्वारा अवैध कोचिंग संस्थानों को दिए गए नोटिसों में यू.डी.एच. विभाग द्वारा कोचिंग संस्थानों के निर्माण और नियमन हेतु जारी मानदंडों का उल्लंघन करने का हवाला दिया गया है,जिसका इस बिल्डिंग द्वारा खुलमखुल्ला उल्लंघन किया जा रहा है|

8. इस भूखंड की एकमुश्त लीज जमा नहीं केवल एक साल की जमा

व्यवसायिक संपरिवर्तन कराते समय भूखंड की लीज मनी जमा करवाना अनिवार्य होता है,जिसके लिए एकमुश्त या हर साल जमा कराने के विकल्प दिए जाते है|इस भूखंड की भी लीजमनी जमा है परन्तु वह एक मुश्त न होकर महज एक साल की है|जिसे भी भूखंड मालिक द्वारा एक साल वर्ष 2013 में ही मात्र जमा करवाया गया था|

सोरठीया चेम्बर में संचालित आकाश इंस्टिट्यूट को सील करते नगर निगम के अधिकारी

9. नियमानुसार कचरापात्र नहीं रखने पर,नगर निगम पहले भी सील कर चूका है सोरठीया चेम्बर में संचालित आकाश इंस्टिट्यूट की इस बिल्डिंग को

2017 में नगर निगम जयपुर द्वारा नियमानुसार कचरापात्र नहीं रखने पर पांच कोचिंग संस्थानों एलन,कैरियर पॉइंट,इनोवेशन,स्प्रिंग बोर्ड और आकाश इंस्टिट्यूट को 3 दिन के लिए सील कर दिया था,सील करने के अन्य कारण भी बताये गए थे जिनमे लीज मनी,यू.डी.टेक्स,सीवरेज और होर्डिंग टेक्स नहीं चुकाना प्रमुख था|

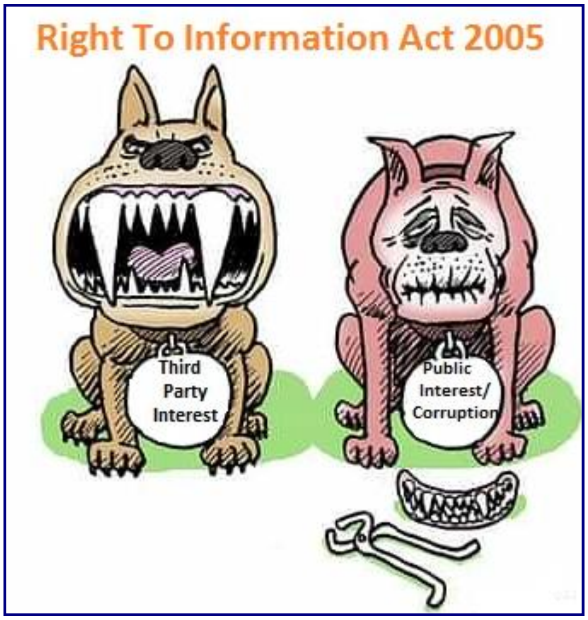

पारदर्शिता पर ताला;सुचना के अधिकार के तहत

ना तो जे.डी.ए. सुचना दे रहा है और ना ही नगर निगम

मुख्य अग्निशमन अधिकारी जगदीश फुलवारी कहते है कि भूखंड मालिक से सुचना मांगने की NOC लेकर आओ

जब इस भूखंड को जारी की गयी फायर NOC के सम्बन्ध में नगर निगम के फायर विभाग के मुख्य अग्निशमन अधिकारी श्री जगदीश फुलवारी से सूचनाएं चाही गयी तो, उनके द्वारा लिखित में जवाब दिया गया कि सुचना चाहने के लिए पहले भूखंड मालिक से सुचना मांगने की NOC लेकर आओ|

जे.डी.ए. ज़ोन 5 के उपायुक्त श्री बलवंत सिंह लिग्री कहते है कि तृतीय पक्ष द्वारा सुचना देने से मना किया गया है इसलिए नहीं दे सकते सुचना

वहीँ दूसरी जे.डी.ए. ज़ोन-5 से इस भूखंड की व्यवसायिक मानचित्र स्वीकृति की जानकारी मांगने पर उनके द्वारा भी यह कह कर मना कर दिया गया कि इस भूखंड की सुचना किसी को भी देने से भूखंड मालिक द्वारा मना किया गया है|

भ्रष्टाचार को उजागर करना जरुरी या तृतीय पक्ष की अनचाही निजता|

देखा गया है कि जब भी किसी सरकारी निकाय में भ्रष्टाचार की परते खोलने के लिए सुचना के अधिकार के तहत सूचनाएं मांगी जाती है तो उनके द्वारा तृतीय पक्ष का सहारा लेकर सूचनाएं देने से मना कर दिया जाता है|जबकि किसी नियम के अंतर्गत अनुज्ञा देना किसी विभाग की पब्लिक एक्टिविटी में आती है जिसका खुलासा उन्हें सुचना के अधिकार अधिनियम की धारा 4 (1) (B) के तहत स्वयं ही करना होता है|तृतीय पक्ष के सम्बन्ध में सुचना केवल विधि द्वारा संरक्षित व्यापार और वाणिज्यिक गुप्त बातों के होने पर ही नहीं दिए जाने हेतु लोक सुचना अधिकारी स्वतंत्र होता है लेकिन यदि इन बातों के खुलासे से कोई व्यापक जन हित बढ़ा हो तो लोक सुचना अधिकारी यह सुचना देनें के लिए भी बाध्य होगा|

क्या कहते है जिम्मेदार अधिकारी??

इस सम्बन्ध में मुझे ज्यादा पता नहीं है,अभी फेमेली फंक्शन में बाहर हूँ आकर पता लगाता हूँ|

मुख्य अग्निशमन अधिकारी,नगर निगम ,श्री जगदीश फुलवारिया

अभी तो जे.डी.ए. ने उन बिल्डिंगों को नोटिस दिए है जो आवासीय परिसरों में संचालित है,बिना फायर NOC के और बिना कोचिंग नियमों के संचालित है,अन्य नियमों की पालना नहीं करने वाली बची हुई बिल्डिंगों को जोन के ATP और AEN की मौका रिपोर्ट के अनुसार बाद में नोटिस दिए जायेंगे|

ज़ोन-5 में नोटिस डिलीवर करने वाले प्रवर्तन अधिकारी,

श्री कैलाश चौधरी

मुख्य अग्निशमनअधिकारी,नगर निगम द्वारा सूचना नहीं देने के सम्बन्ध में लिखा गया पत्र

कार्यालय मुख्य अग्निशमन अधिकारी बनीपार्क नगर निगम जयपुर

क्रमांकः एफ.9( )आ.फा./न.नि.ज/19/ 847 दिनांकः 1/7/17

श्री ज्ञानेश कुमार,
एस–1, सेकंड फ्लोर,
झारखंड अपार्टमेन्ट झारखण्ड महादेव मोड,
जनरल सगम सिंह मार्ग खातीपुरा,
पिनः 302012

विषयः– सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 6(1) के तहत आवेदन के क्रम मे।

प्रसंगः–सू.अ.प्र के क्रमांक 926 दिनांक 10.06.2019 के क्रम मे।

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि आप द्वारा सूचना के अधिकार के तहत् प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर आकाश इंस्टीट्यूट भूखण्ड संख्या 43, 44ए, 10–बी स्कीम गोपालपुरा बाईपास को दी गयी फायर एनओसी के सम्बन्ध में बिन्दुवार सूचना चाही गई है। आपका भूखण्ड पर मालिकाना हक होने सम्बन्धी कोई भी दस्तावेज प्राप्त नही हुआ है।

अतः उक्त भूखण्ड में आपका किसी भी प्रकार का हक/अधिकार है, तो सम्बन्धित दस्तावेजों की प्रति सात दिवस में प्रस्तुत करे ताकि आपको वांछित सूचना उपलब्ध करवाई जा सके। चूंकि आप द्वारा चाही जा रही सूचना तृतीय पक्ष से सम्बन्धित होने के कारण सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के नियम 11 के अनुसार आप अपने स्तर पर भूखण्ड स्वामी से सहमति प्राप्त करवाये जिसके पश्चात ही वांछित सूचना उपलब्ध करवाई जा सकेगी।

सूचित रहे।

राज्य लोक सूचना अधिकारी
एवं मुख्य अग्निशमन अधिकारी
नगर निगम जयपुर

प्रतिलिपिः–
1 श्रीमान् अतिरिक्त आयुक्त मुख्यालय (सूचना का अधिकार प्रकोष्ठ) के पत्र प्राप्ति 926/सू.अ.प्र दिनांक 10.06.2019 के क्रम मे सूचनार्थ।
2. सुरक्षित पत्रावली।

उपायुक्त ज़ोन-5,जे.डी.ए. द्वारा सुचना नहीं देने के सम्बन्ध में लिखा गया पत्र

राज्य लोकसूचना अधिकारी (उपायुक्त जोन–5)
जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर
इन्दिरा सर्किल, जवाहरलाल नेहरू मार्ग,जयपुर।

स्पीड पोस्ट/रजिस्टर्ड

क्रमांकःजविप्रा/उपा/जोन–5/2019/डी– 1916 दिनांक : 30-7-19

श्री ज्ञानेश कुमार
एस–1 द्वितीय मंजिल
झारखण्ड अपार्टमेन्ट
झारखण्ड महादेव मोड
जनरल संगत सिंह मार्ग
खातीपुरा, जयपुर।

विषय :– सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत सूचना उपलब्ध कराने बाबत्।

सन्दर्भ :– नागरिक सेवा केन्द्र के पंजीयन क्रमांक 144827 दिनांक 4.6.2019

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि आप द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 6 (1) के अनुरोध पत्र में पथिक भवन नि.स.स. की योजना स्कीम नं. 10 बी के भूखण्ड संख्या 43 व 44ए पत्रावली से सम्बन्धित सूचना चाही गई है। चाही गई सूचना में जोन कार्यालय में आपत्ति प्राप्त हुई है। अतः सूचना दिया जाना सम्भव नही है।

उपायुक्त जोन–5 एवं
राज्य लोक सूचना अधिकारी
जविप्रा,जयपुर

प्रतिलिपि :–
1. प्रथम अपीलीय अधिकारी एवं सचिव जविप्रा को अपील पंजीयन कमांक 144827–174293 दिनांक 17.7.2019 के सन्दर्भ मे सूचनार्थ प्रेषित है।

उपायुक्त जोन–5 एवं
राज्य लोक सूचना अधिकारी
जविप्रा,जयपुर

नगर निगम की कार्रवाई

दो कोचिंग संस्थान सीज

पत्रिका न्यूज नेटवर्क
patrika.com

जयपुर. नगर निगम की सतर्कता शाखा ने रविवार को दो कोचिंग संस्थानों को सीज कर दिया। दोनों के पास फायर एनओसी नहीं थी। सतर्कता शाखा के अधिकारियों ने बताया कि बीते दो में दो नोटिस देने के बाद भी कोचिंग संस्थान संचालकों ने फायर एनओसी नहीं ली। नगर निगम सतर्कता शाखा के उपायुक्त राजीव दत्ता ने बताया कि बापू नगर में क्लियर विजन और करियर पावर कोचिंग संस्थानों को सीज कर दिया गया है।

दो बार नोटिस के बावजूद एनओसी नहीं ली, निगम ने कोचिंग सीज किया

सिटी रिपोर्टर | जयपुर

नगर निगम ने लालकोठी स्थित पैरामउण्ड कोचिंग संस्थान को एनओसी लेने के लिए दो बार नोटिस दिया। इसके बावजूद भी कोचिंग संस्थान ने ना तो कोचिंग क्लासेस बंद की और ना ही फायर एनओसी ली। शुक्रवार को निगम टीम ने इस कोचिंग संस्थान को सीज कर दिया। उपायुक्त फायर आभा बेनीवाल ने बताया कि इस कोचिंग संस्थान परिसर में फायर एनओसी नहीं होने पर 25 मई व 20 जुलाई को दो बार नोटिस दिया गया था कि परिसर में बिना फायर एनओसी के संचालित कोचिंग संस्थान को बंद किया जाए या एनओसी ली जाएं। लेकिन नोटिस का कोई असर नहीं हुआ। इसलिए राजस्थान नगर पालिका अधिनियम की धारा के तहत सीज किया गया है।

TIMES CITY

Civic body seals 3 coaching institutes over fire safety

Times News Network

Jaipur: Jaipur municipal corporation (JMC) has served 190 notices to different buildings in the city over fire safety measures as most of them have been flouting norms. Rajasthan High Court has pulled up JMC and asked to take steps against coaching centres, hostels and residential complexes that doesn't have fire NOC.

After fire at Surat coaching centre, where more than 20 students died, the administration is strict with the coaching centres in Jaipur and have already sealed three institutes. However, sources have claimed that the JMC is cherry picking institutes.

As per JMC fire deputy commissioner Abha Beniwal, they have given notices to around 10 coaching centres, those above 15 metres of height, in the city.

"More than 70, out of 190 notices, have been served to the coaching centres. As per the law, fire NOC is required for buildings with height above 15 metres. Four out of 10 coaching centres, who were served with notices, have taken NOC. We have already sealed three and action will soon be taken against the remaining ones," said Abha Beniwal.

Many coaching institutes which do not fall under the fire NOC category have been provided with notices. Beniwal said, "There is a minimum requirement of fire safety measures. Fire exits, wooden work in the buildings which can catch fire, particular number of fire extinguishers and staircases have to be there in the building. If classes are in basement then proper ventilation has to be maintained."

People have appreciated the action towards institutes but are also demanding the same for hundreds of rooftop cafés, hotels, residential complexes that have been functioning without following any norms in the city.

Coaching centres shut over fire safety norms

Times News Network

Jaipur: Two coaching institutes were sealed by Jaipur Municipal Corporation (JMC) on Sunday for lack of fire safety equipment and the mandatory NoC.

Although the centres located at Bapu Nagar were served with multiple notices, they did not reply.

Chief fire officer (CFO) Jagdish Phulwari said, *"The two caoaching centres were served notices previously, but neither replied nor took any constructive action. We had given them time to equip the facility with the mandatory fire safety measures and give us a report of the same. However, they did not do so and we sealed the centres."* In the wake of the fire accident that resulted in the death of 23 students in Surat in May, JMC had issued notices to a total of 195 commercial establishments, including 90 coaching institutes, which have not followed fire safety norms and are operating without an NoC.

It was found that in a majority of high-rises and basements, fire extinguishers, sand buckets and other equipment to control fire are missing.

Moreover, barring a few coaching institutes, most of them don't have smoke alarms and sprinkler systems advised by the fire department as well as emergency exits and other security measures.

नगर निगम द्वारा नोटिस दिए जाने की खबरे

कोचिंग सेंटरों पर सख्त हुआ निगम

जयपुर@पत्रिका. सूरत में कोचिंग सेंटर में आग लगने के बाद शहर के कोचिंग संस्थाओं की फायर एनओसी की जांच की। अधिकतर के पास फायर एनओसी नहीं थी। निगम फायर शाखा की ओर से कोचिंग संस्थान संचालक को दो-दो बार नोटिस दे व्यवस्थाओं को दुरुस्त करने की बात कही, लेकिन कोचिंग सेंटरों ने ही इसको गंभीरता से लिया। शहर में दो दर्जन से अधिक कोचिंग संस्थान बिना फायर एनओसी के ही चल रहे हैं। इसको लेकर नगर निगम की सतर्कता शाखा ने शुक्रवार को कार्रवाई शुरू कर लालक ोठी स्थित पैरामाउंट कोचिंग सेंटर को सीज कर दिया। सतर्कता शाखा के उपायुक्त राजीव दत्ता का कहना है कि जिन कोचिंग संस्थानों के संचालकों ने पहले नोटिस पर फायर एनओसी नहीं ली, उनको दूसरा नोटिस भी दिया गया

98 कोचिंग सेंटर, 55 रूफटॉप रेस्टोरेंट को दिए नोटिस

जयपुर @ पत्रिका. जेडीए की प्रवर्तन शाखा ने बुधवार को शहर में नियमों के विपरीत चल रहे कोचिंग सेंटर और अवैध तरीके से चल रहे रूफटॉप रेस्टोरेंट को नोटिस दिए। पहले दिन 153 नोटिस दिए गए। इनमें से 98 कोचिंग सेंटर और 55 रूफटॉप रेस्टोरेंट हैं। जेडीए एसपी प्रीति जैन ने बताया कि सूरत की घटना के बाद शहर में सर्वे कराया था और उसी आधार पर यह नोटिस दिए जा रहे हैं। हर जोन में पांच लोगों की टीम गठित की गई थी और करीब एक महीने में यह सर्वे तैयार किया गया है। एक से आठ जोन तक 230 कोचिंग सेंटर और रेस्टोरेंट चिह्नित किए गए हैं। शेष को गुरुवार को नोटिस दिए जाएंगे। अभी जोन नौ से पृथ्वीराज नगर दक्षिण तक का सभी सर्वे कराया जाएगा और उनको भी नोटिस दिए जाएंगे।

बजाए इंजीनियरिंग कर रही होती। ... दिन से पढ़ाई में मन ही नहीं लग रहा।

सूरत अग्निकांड से सबक • 153 रेस्त्रां-कोचिंग को नोटिस

बिना सुरक्षित एंट्री-एग्जिट चल रहे हैं रूफटॉप रेस्त्रां और कोचिंग सेंटर

इन्फ्रा रिपोर्टर | जयपुर

पहले मुंबई और फिर मई 2019 में सूरत में रूफटॉप रेस्टोरेंट में हुए भयानक हादसे से सबक लेते हुए जेडीए ने रेस्टोरेंट और कोचिंग सेंटर्स पर कार्रवाई की ठानी है। बुधवार को एक साथ ऐसे 153 संस्थानों को नोटिस जारी किए गए। जेडीए के सर्वे में सामने आया कि कई बिल्डिंगों में तो एक साथ 3-3 कोचिंग इंस्टीट्यूट चल रहे हैं। हादसों के दौरान सुरक्षित निकलने के लिए एंट्री और एग्जिट तक नहीं हैं। बाहर पार्किंग के इंतजाम नहीं हैं। अब इन्हें 7 दिन में नियमों मुताबिक कार्रवाई करने की नसीहत दी है, अन्यथा बंद करने जैसी कार्रवाई की जाएगी।

सुरक्षा उपकरणों के बगैर चल रहे कोचिंग और रेस्त्रां : एसपी

सर्वे में आया कि रेजीडेंशियल बिल्डिंगों में बगैर बायलॉज सुरक्षा उपकरणों की गैर मौजूदगी में कोचिंग और रूफटॉप रेस्टोरेंट चल रहे हैं। नोटिस के सप्ताहभर में सुधार नहीं किए तो बंद कराने जैसी कार्रवाई होगी।

पहली बार... जेडीए का डिटेल सर्वे चेतावनी दी कि 7 दिन में सुधर जाएं

आगे इनकी बारी... फिलहाल जेडीए जोन 1 से 8 तक में सर्वे कर 55 रूफटॉप रेस्टोरेंट और 98 कोचिंग संस्थानों को नोटिस जारी किया है। अब जगतपुरा, पृथ्वीराज नगर सहित बाहरी क्षेत्रों की बारी है। ऐसे करीब 70 के आसपास संस्थानों को सप्ताहभर में नोटिस देकर कार्रवाई की तैयारी है।

भास्कर ने मुंबई हादसे के बाद ही उठाया था मुद्दा, पर अफसर सोते रहे

सूरत से पहले मुंबई में हुए रूफटॉप रेस्त्रां हादसे के बाद भास्कर ने इस लापरवाही को प्रमुखता से उजागर किया। मामला विधानसभा में भी गूंजा। पर अफसरों ने गोलमोल जानकारी दी। जेडीसी टी. रविकांत ने सख्ती कर मई 2019 में कमेटियां गठन कर 10 दिन में जानकारी मांगी।

जे.डी.ए. द्वारा नोटिस दिए जाने की खबरे

Notices to coaching institutes, rooftop joints for flouting norms

TIMES NEWS NETWORK

Jaipur: Jaipur Development Authority (JDA) on Thursday gave notices to 118 coaching institutes and 62 rooftop restaurants in the city for violating safety measures as required by the law.

After the fire in a Surat coaching institute where more than 20 students died due to lack of fire safety measures, authorities in Jaipur have taken a strict stand against the coaching institutes.

SP, JDA, Preeti Jain said that last month they conducted a survey of coaching institutes and rooftop restaurants in the city that are not following the required safety measures. "Eight teams comprising five members each including ACP, JEN, tehsildar, town planner and an officer of the enforcement branch, were made to conduct surveys in all the eight zones. After the survey, they made a list of places where the owners were violating rules like using a residential place as commercial, no fire NOC, entry and exit points, stairs, parking facility or set-back violation. We made the list and served them notices. All these restaurants and coaching institutes have been given a week's time to provide us reasons for violating the rules. After this, we will take appropriate action that includes sealing these buildings," said Jain.

She added that they have made a specific list of coaching institutes that do not have fire NOC and sent it to the Jaipur Municipal Corporation (JMC). "Other than fire NOC, we are taking action against violations under JDA Act, rule 32. Our main aim is to prevent repetition of Surat coaching institute incident and Mumbai fire at rooftop restaurant. Soon we will start taking action against them," she said. JMC has also served 190 notices to different buildings in the city over fire safety measures as most of them have been flouting norms. Out of 190, over 70 notices were given to coaching institutes. Since last week, JMC has sealed three coaching institutes in the city for violating norms.

कोचिंग इंस्टीट्यूट्स पर भी कसेगा शिकंजा

200 से अधिक रूफटॉप रेस्टोरेंट्स, कोई वैध नहीं

जेडीए ने थमाए कई रेस्टोरेंट्स को नोटिस, नगर निगम भी अब कार्रवाई की तैयारी में

पत्रिका न्यूज़ नेटवर्क
patrika.com

जयपुर. शहर में सालों से चल रहे रूफटॉप रेस्टोरेंट्स को जेडीए ने नोटिस थमाए हैं। पहले भी स्वायत्त शासन विभाग ने नगर-निगम को रूफटॉप रेस्टोरेंट और बार पर कार्रवाई के लिए कहा है, लेकिन नतीजा ढाक के तीन पात ही रहा है। जेडीए और निगम अधिकारी इस बात को स्वीकार कर रहे हैं कि अब तक सरकार स्तर पर कोई नियम नहीं हैं। रूफटॉप रेस्टोरेंट अवैध हैं, लेकिन 200 से अधिक रूफ टॉप रेस्टोरेंट के निर्माण कैसे हो गए? जवाब नहीं है।

हर जगह नियमों की अवहेलना

95 फीसदी से अधिक रूफटॉप रेस्टोरेंट में फायर फाइटिंग सिस्टम ही नहीं है। इसके अलावा आपातकाल में निकलने के लिए पर्याप्त जगह का न होना, पार्किंग की व्यवस्था भी नहीं होती है। इतना ही नहीं रिहायशी इलाके में व्यवसायिक गतिविधि भी हो रही हैं। किसी भी तरह की आग लगने या अनहोनी की दशा में हमेशा हादसे की आशंका बनी रहती है। उधर, जेडीए ने कोचिंग क्लासेज में जाने वाले बच्चों के परिजनों से भी कहा है कि वे बच्चों को वहीं भेजें, जहां सुरक्षा की दिक्कत ना हो। जेडीसी टी रविकांत का कहना है कि आठ जोन में चल रहे रूफटॉप रेस्टोरेंट्स और कोचिंग इंस्टीट्यूट को नोटिस दिया है।

भास्कर खास • विधानसभा में बोला गया था झूठ, जेडीए ने 65 रेस्त्रां को भेजे नोटिस

शहर में 65 रूफटॉप रेस्त्रां अवैध, जबकि सरकार ने सदन में बताया था- सिर्फ 9 हैं...

अब तक 182 संस्थानों को नोटिस, यहां न आग से निपटने के इंतजाम, न ही सुरक्षित एंट्री और एग्जिट

इन्फ्रा रिपोर्टर | जयपुर

अकेले जयपुर में ही 65 रूफटॉप रेस्टोरेंट अवैध रूप से चल रहे हैं। बिल्डिंग बॉयलॉज के हिसाब से इनमें सुरक्षित एंट्री-एग्जिट नहीं है तो आगजनी जैसी स्थितियों से निपटने के लिए फायर फाइटिंग जैसे सुरक्षा उपकरण और लाइसेंस नहीं है। जिन बिल्डिंगों पर ये चल रहे हैं, उनमें पार्किंग के इंतजाम तो है ही नहीं। इसे देखते हुए जेडीए ने इनको नोटिस थमाए हैं। हालांकि इससे पहले स्वायत्त शासन विभाग ने शहर में केवल 9 ऐसे रेस्टोरेंट की जानकारी बताई थी। वह भी चित्तौड़ एमएलए के दूसरी बार लगाए सवाल के सालभर बाद सौंपे गए जवाब में। जिसमें विधायक ने मुंबई हादसे के बाद इस मसले की गंभीरता जाननी चाही थी। विधानसभा में तो सरकार ने टालमटोल के साथ झूठा जवाब दे दिया, लेकिन अब जेडीए ने इन मामलों पर समान रूप से हालात सुधारने, अन्यथा कड़ी कार्रवाई की बात कही है।

117 कोचिंग संस्थान ऐसे, जो रिहायशी भवनों में चल रहे

जेडीए ने शुक्रवार को 29 कोचिंग संस्थान और रूफटॉप रेस्टोरेंट को नोटिस जारी किए हैं। कुल ऐसे 182 नोटिस जारी हो चुके हैं, जिनमें 117 ऐसे कोचिंग संस्थान हैं, जो रिहायशी भवनों में चल रहे हैं। जेडीए में तैनात एसपी प्रीति जैन के मुताबिक यह संख्या बढ़ेगी।

सालभर बाद जवाब दिया वो भी आधा-अधूरा : विधायक

रूफटॉप रेस्त्रां के मामले पर लगाए सवाल का जवाब आने में ही सालभर लग गया। वह भी अधूरा जवाब आया। बड़े हादसे से पहले सरकार को कार्रवाई करनी चाहिए।

-चंद्रभान सिंह 'आक्या', विधायक, चित्तौड़गढ़

पैरेंट्स से अपील है- खुद भी सुरक्षा हालात जांचें : जेडीसी

अभिभावकों से अपील है कि वो भी कोचिंग संस्थानों में बच्चों को भेजने से पहले वहां के सुरक्षा हालात देखें। हम ऐसे मसलों पर समान रूप से कार्रवाई करेंगे। इससे पहले वे मापदंड पूरे कर लें।

-टी. रविकांत, जेडीए कमिश्नर

जे.डी.ए. द्वारा नोटिस दिए जाने की खबरे

जेडीए की कार्रवाई

29 कोचिंग संस्थान, रूफ टॉप रेस्टारेंट्स को दिए नोटिस

जोन-09 से 14 और पृथ्वीराज नगर क्षेत्र में चल रहा है सर्वे

पत्रिका न्यूज़ नेटवर्क
patrika.com

जयपुर. शहर में चल रहे रूफ टॉप रेस्टोरेंट्स और कोचिंग संस्थानों को शुक्रवार को जेडीए की प्रवर्तन शाखा ने नोटिस दिए। जोन-1 से 8 तक के क्षेत्र में 29 कोचिंग संस्थाएं और रूफटॉप रेस्टोरेंट्स को नोटिस थमाए। तीन दिन में जेडीए ने 182 नोटिस दिए। इनमें 117 कोचिंग संस्थान एवं 65 रूफटॉप रेस्टोरेंट शामिल हैं। इन्हें जवाब देने के लिए सात दिन का समय दिया गया है।

अवैध कोचिंग व रूफटॉप की संख्या 250 से अधिक

जयपुर। राजधानी में पहली बार अवैध रूप से चल रहे कोचिंग सेंटर और रूफटॉप रेस्टोरेंट पर नोटिस की बड़ी कार्रवाई से हड़कंप है। अभी नगर निगम एरिया में कार्रवाई होना बाकी है। वहीं जेडीए रीजन में भी जगतपुरा, पृथ्वीराज नगर आदि में सर्वे का काम चल रहा है। इसके बाद यह संख्या करीब 250 से ज्यादा पहुंचने के आसार हैं। जेडीए ने सप्ताहभर के नोटिस अवधि के दौरान बिल्डिंग बॉयलाज के नियमों की पालना नहीं करने पर संबंधित भवनों को सील करने की बात कही है। ऐसे में ज्यादातर को अपनी जमी-जमायी व्यवस्था उखड़ने का भय है। उधर दूसरी ओर कई कोचिंग संस्थानों के बाहर पार्किंग जैसी व्यवस्थाएं नहीं होने के बाद उनका नाम नोटिस में नहीं आने की बात चर्चा में है। इसको लेकर कुछ ईओ की भूमिका सवालों में बताई जा रही है। हालांकि एसपी प्रीति जैन के मुताबिक ज्वाइंट सर्वे के बाद नोटिस दिए गए हैं।

CamScanner